

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) म प्रकाशनाथ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 54/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 09 अक्टूबर, 2019

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) का धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतगत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) म प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) म प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण म प्रधान महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा अधिसूचना सं. 42/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 06.09.2019, का.आ.3245 (अ) दिनांक 09.09.2019 द्वारा प्रकाशित, मे निम्नलिखित संशोधन करते है

उपरोक्त अधिसूचना का तालिका के क्रम सं. 1 के स्तंभ सं. 3, स्तंभ सं. 4 और स्तंभ सं. 5 म मौजूदा शब्दा "फा. सं. DRI/BZU/S-IV/Enq-54 (Int-01)/2018 दिनांक 20.08.2019 (SCN No. 45/2019 DRI-BZU)", "चेन्नई-VI" तथा "चेन्नई-VI" को क्रमशः "फा. सं. DRI/BZU/S-IV/Enq-54 (Int-01)/2018 दिनांक 20.08.2019, दिनांक 23.09.2019 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय (SCN No. 45/2019 DRI-BZU)", "चेन्नई-IV" तथा "चेन्नई-IV" से प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-35/2019-CI]

(सुचेता श्रीजेश)

अपर निदेशक

प्रतिर्लाप सूचना एवं रिकॉड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क (चेन्नई-IV), कस्टम हाउस, चेन्नई
2. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क, बंगलोर सिटी कस्टमस, सी आर बिल्डिंग, क्वीन्स रोड, बंगलोर
3. प्रधान अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, बंगलोर को उनके पत्र सं. DRI/BZU/S-IV/Enq-54(Int-01)/2018/1775 दिनांक 24.09.2019 के संदभ मे और इस निवेदन के साथ कि वो कारण बताओ नोटिस के सभी नोटिसिया को इस बारे मे सूचित कर.